न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तारीख हुक्म	पालाराम बनाम तहसीलदार श्रीमाधोपुर **हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज** दावा प्र.नं. - 161/2023
03.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में साक्ष्य वादी हो जाने व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से अंतिम बहस एकपक्षीय सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। Rathore 03/01/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्ट्रटेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
161 / 2023	2023 / 267	19.09.2023	03.01.2024

1. पालाराम पुत्र मूलाराम आयु 68 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान।

—— वादी——

बनाम

1. तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर (भूमिधारी राजस्थान सरकार) जिला सीकर राजस्थान।

——प्रतिवादी——

उपस्थित : –

श्री जे0 पी0 गुर्जर एड0 वादी।
सरकारी पैरोकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी।

दावा बाबत उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम)

——:: निर्णय ::——

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा [illegible] रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 361

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकबा 2.07 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान का 1/6 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 383 रकबा 0.35 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी 1/3 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार है। वादी को अपने गांव समाज बिरादरी में प्रहलाद एवं पालाराम दोनों नाम से पुकारा जाता है। प्रहलाद पुत्र मूलाराम ही पालाराम पुत्र मूलाराम एक ही व्यक्ति हैं। वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर वादी की पैतृक उक्त कृषि भूमियों का विरासत के नामान्तकरण हुआ तो वादी के बड़े भाई ने ही विरासत के नामान्तकरण की कार्यवाही की थी जो अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति था। इसलिए उक्त कृषि भूमियां के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी बाबत विरासत का नामान्तकरण की कार्यवाही के वक्त वादी का नाम प्रहलाद ही दर्ज हो गया जबकि वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में वादी का नाम पालाराम पुत्र मूलाराम ही दर्ज हैं, जबकि उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम प्रहलाद पुत्र मूलाराम अंकित है, जबकि अन्य समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम पालाराम अंकित होने से नाम में भिन्नता होने से आपस में मेल नहीं खाता हैं, जिससे वादी को अलग व्यक्ति समझा जाता हैं जिससे वादी को काफी परेशानी होती हैं और भविष्य में भी वादी के गंभीर विधिक अड़चने उत्पन्न होने की भी संभावनायें सदैव बनी रहती है। इसलिये उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादी का नाम प्रहलाद के स्थान पर पालाराम सही रूप से अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख खतौनियों में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादी का नाम सही रूप से अंकित किये जाने से वादी को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। वादी ने अपनी उक्त कृषि भूमियों पर कृषि ऋण कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर वादी को उक्त राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादी का नाम प्रहलाद अंकन होने की जानकारी हुई। जिस पर वादी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में अपना नाम प्रहलाद के स्थान पर दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर सक्षम न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

चाराजोही करने बाबत् कहने पर वादी को माननीय न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्ती का निवेदन का प्रयास विफल होने एवं प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अर्सा 15 दिन पूर्व इंकार करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा अनुतोष इस प्रकार चाहा गया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0. 18 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0. 25 हैक्टर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकबा 2.07 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी हिस्सा 1/6 एवं कृषि भूमि खसर नम्बर 383 रकबा 0.35 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर में 1/3 हिस्सा का खातेदार प्रहलाद पुत्र मूलाराम के स्थान पर पालाराम पुत्र मूलाराम उद्घोषित किया जावें एवं उक्त भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में इसी भांति नाम की दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी तहसीलदार को आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। साक्ष्य वादी का मुख्य परीक्षण में वादी पालाराम पुत्र गुलाराम आयु 68 वर्ष जाति गुर्जर व साक्ष्य गवाहान में गवाह रामनिवास पुत्र घीसाराम आयु 36 वर्ष जाति गुर्जर के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक भू.अ./22/2158 दिनांक 13.12.2023 द्वारा प्राप्त हुई। जिसको शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी/गवाह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested

02/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हमने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व साक्ष्य वादी/गवाह में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 दो जमाबंदीयों, विद्युत बिल, भामाशाह कार्ड, जन–आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरपंच, ग्राम पंचायत प्रमाणिकरण पत्र, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी/गवाह में लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादपत्र में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित सहखातेदारों के बताये अनुसार प्रहलाद पुत्र मूला एवं पालाराम पुत्र मूलाराम दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है, जाना जाता है। मौके पर प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम पालाराम पुत्र मूलाराम है। वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी/वादी का नाम प्रहलाद पुत्र मूला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त नाम ग्राम टटेरा के नामांतरण संख्या 10 से मूला पुत्र पन्ना की विरासत के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम पालाराम पुत्र मूलाराम के बजाय राजस्व रिकॉर्ड प्रहलाद पुत्र मूला या प्रहलाद पुत्र मूलाराम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना प्रकट होता है, जो कि एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम प्रहलाद पुत्र मूला या प्रहलाद पुत्र मूलाराम के स्थान पालराम पुत्र मूलाराम राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से व[illegible] वादपत्र बाबत् उदघोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषित की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0. 18 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.05 हैक्टर,

01/01/24 दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खसरा नम्बर 352 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकबा 2.07 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी हिस्सा 1/6 एवं कृषि भूमि खसर नम्बर 383 रकबा 0.35 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर में 1/3 हिस्सा का खातेदार प्रहलाद पुत्र मूलाराम के स्थान पर पालाराम पुत्र मूलाराम घोषित किया जाकर उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में वादी का नाम प्रहलाद पुत्र मूलाराम के स्थान पर पालाराम पुत्र मूलाराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

03/01/24

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested